

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5(प)/अभि./एसीटीएडी/275(1)/छात्रावास निर्माण/2018-19/9839-52 दिनांक : 21/05/2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र).
चित्तौड़गढ़।

विषय : जनजाति बालिका छात्रावास बिजयपुर पं.स. चित्तौड़गढ़ की शेष राशि की स्वीकृति।

प्रसंग : अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भीलवाड़ा का पत्रांक अ.अ./वि.बो./भील/2019-20/2214 दिनांक 25.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभागीय पत्रांक 30059-72 दिनांक 20.08.2018 द्वारा बालिका आश्रम छात्रावास बिजयपुर घाटा निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि रूपये 260.00 लाख की जारी की गई एवं विभागीय पत्रांक 31521-31 दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्रथम किश्त के तौर पर राशि रूपये 100.00 लाख आपके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित किये गये। शेष राशि जनजाति कल्याण निधि (राज्य योजना) मद से वहन की जानी थी।

अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भीलवाड़ा द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया गया कि प्रथम किश्त की राशि रूपये 100.00 लाख प्राप्त हो गये, जिसके विरुद्ध संवेदक द्वारा फिनिशिंग स्टेज तक कार्य संपादित कर दिया गया है एवं शेष राशि हस्तान्तरण बाबत आग्रह किया गया।

वर्तमान में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत (बजट शीर्ष 4225-02-796(22)[02]17) उक्त कार्य हेतु राशि उपलब्ध नहीं है।

संविधान की धारा 275(1) मद में शासन की स्वीकृति संख्या 71/2015-16 में प्राप्त राशि के विरुद्ध विभागीय निम्नांकित स्वीकृति पत्रों द्वारा जनजाति बालक आश्रम छात्रावास मुंझवा एवं बालिका आश्रम छात्रावास रावतभाटा में क्षमता वृद्धि कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन अनुसार इन कार्यों पर निम्नानुसार व्यय हुआ है एवं जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के पी.डी. खाते में बचत राशि उपलब्ध है:-

| क्र.सं. | कार्य का नाम | वित्तीय स्वीकृति | | व्यय राशि | बचत राशि |
|---------|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|
| | | क्र./दि. | राशि | | |
| 1. | बालक आश्रम छात्रावास मुंझवा | 15825-36/ 10.06.2016 | 162.86 | 67.98 | 94.88 |
| 2. | बालिका आश्रम छात्रावास रावतभाटा | 15980-92/ 13.06.2016 | 145.26 | 75.55 | 69.71 |
| | योग | | 308.12 | 143.53 | 164.59 |


बिजयपुर घाटा निर्माण पं.स. चित्तौड़गढ़ हेतु कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार निम्नानुसार राशि की आवश्यकता है:-

| | |
|---|-------------------|
| कार्यादेश राशि | 213.33 लाख |
| प्रोरेटा चार्ज 9 प्रतिशत- | 19.20 लाख |
| कटिन्जेन्सी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल की राशि | 5.33 लाख |
| | <u>237.86 लाख</u> |

कृ.पू.उ.

उपरोक्त कार्य की शेष आवश्यक राशि रूपये 137.86 लाख (237.86 लाख -100.00) का व्यय उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यों (बालिका आश्रम छात्रावास मुझवा एवं रावतभाटा) की जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के पी.डी. खाते में उपलब्ध बचत राशि में से करने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

कृषया अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भीलवाडा को नियमानुसार द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान करावें। अंतिम किश्त (20 प्रतिशत)का भुगतान उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ प्राप्त कर आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही करावें।


(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S
आयुक्त

एफ 5(प)/अभि./एसीटीएडी/275(1)/छात्रावास निर्माण/2018-19/ दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)।
5. प्रशासक/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अजमेर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर/भीलवाडा।
8. उप निदेशक शिक्षा कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य माह जुलाई 2020 तक पूर्ण होना संभावित है। अतः नवीन शिक्षा सत्र से संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
10. निदेशक मोनिटरिंग शाखा कार्यालय हाजा।
11. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।

//
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)